[illegible] मध्यम वर्ग का विरोध इसलिए करते हैं कि इनकी सहानुभूति श्रमिकों के प्रति न होकर पूँजीपतियों के प्रति [illegible] पूँजीपतियों से मित्रता होती है और वे सदा उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं।

[illegible] का कहना है कि उनका कोई देश नहीं होता। मार्क्स के इस कथन से वे सहमत हैं कि श्रमिकों की कोई [illegible] उनका वही स्वदेश है, जहाँ उन्हें निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी मिलती है। विश्व के सभी श्रमिकों का [illegible] है। वे सभी पूँजीवादियों से घृणा एवं शत्रुता रखते हैं। सब श्रमिक चाहते हैं कि पूँजीवाद को जड़ समेत [illegible] पूँजीपति के रहते हुए उनका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। नंगे, गरीब, भूखे और पीड़ित व्यक्तियों के [illegible] की भावना एक कोरा तथा खोखला आदर्श है। श्रमिक संघवादी हिंसा का समर्थन करते हैं। उनका कहना था [illegible] से वीरता, साहस तथा आत्म-सम्मान का भाव पैदा होता है।

[illegible] **(Fascism) :** फासीस्टवाद का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है जैसा कि मार्क्सवाद का है। इटैलियन [illegible] कहता है, "फासीस्टवाद ने स्वयं को अपने भावी कार्यक्रम के संबंध में बाँधना स्वीकार नहीं किया है।" शुरू-शुरू [illegible] कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था। उनका तो ध्येय था कि हिंसा के द्वारा सत्ता को प्राप्त किया जाए। मुसोलिनी के [illegible] कार्यक्रम सरल है। हम इटली पर शासन करना चाहते हैं। वे हमसे कार्यक्रम पूछते हैं, किन्तु पहले से ही बहुत [illegible] दानव हैं, इटली की मुक्ति के लिए कार्यक्रमों की कमी नहीं है। आवश्यकता है मनुष्यों की तथा इच्छाशक्ति [illegible] सिद्धान्त लोहे तथा टीन की बेड़ियाँ हैं।" मुसोलिनी ने कहा कि वे किसी सिद्धान्त से बँधे हुए नहीं हैं। उनका [illegible] किसी बाधा के निरंतर एक उद्देश्य की ओर अग्रसर होना। मुसोलिनी का यह नारा प्रसिद्ध है, "मेरा कार्यक्रम कार्य [illegible]

[illegible] किसी भी सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते और न ही वे किसी सिद्धान्त से बँधे हुए हैं, अवसरवादी मुसोलिनी ने [illegible] में कहा जाए तो वें देश, काल और वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीनतंत्रीय अथवा जनतंत्रीय, [illegible] प्रतिक्रियावादी अथवा क्रांतिकारी तथा नियमवादी अथवा अनियमवादी सभी कुछ हो सकते हैं।

[illegible] ने राष्ट्रवादियों की महानता को अत्यधिक महत्त्व दिया। उनके अनुसार राष्ट्र ऐसे लोगों का एक समूह है जिसमें [illegible] संस्कृति तथा सभ्यता में समानता पाई जाती है। राज्य राष्ट्र का ही वैधानिक रूप है। फासीवादियों के अनुसार राज्य [illegible] सत्ता प्राप्त है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु को [illegible] के लिए राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत हितों को राज्य के सर्वोच्च हितों के सामने [illegible] यदि राज्य रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। राज्य ही अंतिम लक्ष्य है और व्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य यह [illegible] करने। फासीवादियों के लिए राज्य एक आध्यात्मिक एवं नैतिक संस्था है। राज्य जनता की आत्मा का रक्षक है।

[illegible] आधुनिक राजनैतिक सिद्धान्त को जब हम विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं की दृष्टि से देखते हैं तो अनेक [illegible] विचारधाराएँ हमारे सामने आती हैं। सभी विचारधाराएँ अपने-अपने तरीके से व्यक्ति तथा राज्य के बीच संबंधों [illegible] के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हैं।

[illegible] की राजनीति शास्त्र में भूमिका का वर्णन करें।
([illegible] the role of Ideology in Political Science.)

[illegible] की भूमिका **(Role of Ideology) :** राजनीति शास्त्र में विचारधारा का विशेष महत्त्व है। एक देश [illegible] राजनैतिक व्यवस्था में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा ने उल्लेखनीय कार्य किए [illegible] विचारधाराओं ने जहाँ एक ओर राजनैतिक व्यवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान किया है। वहीं दूसरी ओर, सामाजिक, [illegible] राजनैतिक परिवर्तनों के अतिरिक्त क्रांतियों को भी जन्म दिया है। स्पष्ट है कि राजनैतिक विचारधाराओं की भूमिका, [illegible] का अध्ययन जरूरी हो जाता है। राजनैतिक विचारधारा की भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित आधारों [illegible] सकता है।

[illegible] व्यवहार को समझने के लिए विचारधारा की भूमिका **(Role of Ideology to understand [illegible] Behaviour) :** राजनैतिक व्यवहार को समझने के लिए विचारधारा बहुत आवश्यक है। हीमेल स्ट्रेप्स के अनुसार,

"विचारधारा की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि वह राजनैतिक कार्यों के लिए लक्ष्य तथा दिशा-निर्देश देती है। उन्हें को न्यायसंगत बनाने के लिए औचित्यपूर्णता का आधार भी वहीं से प्राप्त होता है। विचारधारा उस समय भी प्रेरक बनती है, जब नीति निर्माण और विनिश्चय लेने का अवसर आए, तथा नीतियों और प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित विचारधारा शक्ति एवं सत्ता के प्रयोग को उचितपूर्ण बनाती है। विचारधारा के आधार पर विरोधियों को कुचला जाता है। को एक कवच की भाँति, बाहरी-भीतरी अनुचित दबावों से कार्यक्रम की शुद्धता की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता समुदाय में कार्य कुशलता, एकरूपता, सामंजस्य, परम्पराओं तथा प्रथाओं का विकास, द्वन्द्व समाधान आदि प्राप्त करने मिलती है। विचारधारा लोक-कल्याण तथा मूल्य-वितरण और राजनैतिक खेल के सिद्धान्त निर्धारित करने का आधार

(ब) औचित्यपूर्णता ग्रहण करना (Role of Ideology to get Legitimacy) : रॉबर्ट डहल के अनुसार राज्य व्यवस्था में राजनेता अपने नेतृत्व को न्यायसंगत बनाये रखने के लिए न्यूनाधिक रूप से गठित एकीकृत विचारों आदि को विकसित कर लेते हैं। इन विचारों तथा मतों के सेट को विचारवाद कहा जाता है और इस विचारवाद के औचित्यपूर्णता ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने प्रभाव को सत्ता में बदलने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा होने के प्रयोग के बिना ही शासन करना संभव हो जाता है। विचारधारा शासन के कार्यों, पद्धतियों, संस्थाओं आदि को महत्त्वपूर्ण और सम्मानजनक बना देती है।

(स) राजनैतिक व्यवस्था में विचारधारा की भूमिका (Role of Ideology in Political System): व्यवस्था को बनाए रखने में राजनैतिक विचारधारा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हर राजनैतिक व्यवस्था की एक विचारधारा है और इसका प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपने पक्ष में किया जाता है। प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्था अपना स्वतंत्र तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी राजनैतिक विचारधारा विकसित करती है या प्रचलित विचारधाराओं में से कि विचारधारा को जो उसके उद्देश्य को पूरा करती है, अपना लेती है। राजनैतिक विचारधारा के आधार पर ही राजनैतिक निर्माण होता है। राजनैतिक विचारधारा के आधार पर ही जनता चुनावों में वोट डालती है। एक देश में अनेक राजनैतिक होते हैं, जोकि भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व रखते हैं। यदि एक दल राजनैतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व है, तो कोई अन्य राजनैतिक दल रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इन राजनैतिक दलों के विचारधाराओं के पर ही किसी एक को चुनौती है।

राजनैतिक व्यवस्था को बनाये रखने में विचारधारा के कार्य या भूमिका : राजनैतिक व्यवस्था को बनाये रखने महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

(i) राजनैतिक विचारधारा का महत्त्वपूर्ण कार्य राजनैतिक व्यवस्था को एक सूत्र में बाँधे रखना है। वर्तमान युग में यह इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि राजनैतिक विचारधारा की किसी राजनैतिक व्यवस्था का टिके रहना ही असंभव दिखाई देता

(ii) राजनैतिक विचारधारा का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य, राजनैतिक व्यवस्था की रूप-रेखा पेश करना है। राजनैतिक विचार से इस बात का पता चल जाता है कि वह राजनैतिक व्यवस्था, जिसका विचारधारा प्रतिनिधित्व करती है, किस प्रकार की सरकार का स्वरूप कैसा होगा? सरकार के विभिन्न अंग कौन से होंगे? राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं की एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में भी विचारधारा एक आधार प्रस्तुत करती है। उदाहरण के तौर पर प्रजातंत्र की विचारधारा कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति विधानमण्डल में होनी चाहिए। जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया है। मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की भक्ति होनी चाहिए और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए।

(iii) राजनैतिक विचारधारा का एक अन्य कार्य राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता वितरण भी निर्धारित किया जाता है।

(iv) राजनैतिक विचारधारा ही राजनैतिक व्यवस्था के लिए वैधता का आधार पेश कर लेती है। राजनैतिक विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि संबंधित व्यवस्था क्यों और किस किस आधार पर स्वीकार की जानी चाहिए।

(v) राजनीतिक विचारधारा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य राजनैतिक व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न करना है। राजनैतिक विचारधारा ही लोगों से आकर्षक शब्दों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वायदे करती है तथा उन्हें व्यवस्थाएँ से आशाएँ बँधाती है जिससे लोगों की व्यवस्था में आस्था उत्पन्न होती है।

राजनीतिक विचारधारा तथा राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंधों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक विचारधारा और राजनैतिक व्यवस्था के बीच घनिष्ठ संबंध हो जाता है। राजनैतिक विचारधारा यदि शरीर है

राजनैतिक व्यवस्था प्राण है। विचारधारा के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही राजनैतिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। दूसरी ओर, राजनैतिक व्यवस्था को विश्वसनीयता प्रदान करती है। विचारधारा से ही उसके राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

(द) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका (Role of Ideology in International Politics) : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक के संदर्भ में विचारधारा का अभिप्राय साधारण विचारधारा नहीं है, जिसमें विचारों का समूह शामिल है या जो विश्व के संबंध में एक विशेष निश्चित विचारधारा व्यक्त करती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसा कि कार्ल मेनहिम लिखते हैं, "विचारधारा का अर्थ वे विशिष्ट विचारधाराएँ हैं जो राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये साधारण कानूनी अथवा नीति शास्त्रीय या जीव-विज्ञान संबंधी सिद्धान्त होते हैं। कार्ल मैनहिम इन्हें विशिष्ट विचारधाराएँ कहकर स्थापित करते हैं, जिन्हें राष्ट्र अपने विरोधियों के विचारों की आलोचना करने और उनका खण्डन करने के लिए और अपनी कल्पनाओं को उचित करार करने के लिए प्रयोग करते हैं।"

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका का दो भागों में विश्लेषण किया जा सकता है–

(क) राज्य के व्यवहार के तत्त्वों के रूप में कुछ सामान्य विचारधाराओं की भूमिका तथा

(ख) विदेश नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन में कुछ विशिष्ट विचारधाराओं की भूमिका।

(क) सामान्य विचारधाराओं की भूमिका *(Role of general Ideology)*

उदारवाद तथा साम्यवाद की विचारधाराएँ दो मुख्य सामान्य विचारधाराएँ रही हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की भूमिका को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

1. उदारवादी विचार (Ideology of Liberation) : 17 वीं शताब्दी से ही उदारवाद की विचारधारा पश्चिमी की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का आधार रही है। यही विचारधारा 20वीं शताब्दी में उदारवादी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक पूँजीवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धान्त बन गई। उदारवाद की विचारधारा सर्वोच्च मूल्यों के रूप में व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता और व्यक्तित्त्व के विकास में पूरा विश्वास रखती है और इसी कारण मूल्यों को प्राप्त करने और इनकी रक्षा करने वाली नीतियों और कार्यों को पूरी तरह समर्थन करती है। व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा चुनाव की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र व्यापार को प्रसन्न एवं स्वतंत्र समाज के तीन प्रमुख नियम और प्रगति का आधार मानती है। यह विचारधारा फासीवाद, नाजीवाद, सर्वसत्तावाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं को खतरनाक तथा विनाश करने वाली विचारधारा मानकर इनका पूर्ण रूप से विरोध करती है, क्योंकि ऐसी विचारधाराएँ व्यक्ति की पहल शक्ति और स्वतंत्रता को समाप्त कर देती हैं।

2. मार्क्सवादी विचारधारा (Marxist Ideology) : मार्क्सवादी विचारधारा, उदारवाद की विचारधारा से वास्तविक रूप में विपरीत है। मार्क्सवादी विचारधारा राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता को महत्त्व देती है या इसे स्वतंत्रता से अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। साम्यवादी विचारधारा, सामाजिक संबंधों के आर्थिक महत्त्व को प्राथमिकता देती है और इन्हें सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समाज का निर्धारक मानती है। इस विचारधारा का उद्देश्य वर्गहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना है। यह विचारधारा समाज के अंदर अमीर एवं गरीब अर्थात् शोषक एवं शोषित वर्गों में पाए जाने वाले वर्ग विभाजन को समाप्त करने पर बल देती है। यह विचारधारा अपने आपको शोषितों के साथ संबंधित करती है और एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करती है, जिसका नियंत्रण आज के शोषित वर्ग के हाथ में हो। साम्यवादी विचारधारा राज्य को अमीरों के हाथ में शोषण का उपकरण मानती है, जिसके माध्यम से अमीर, गरीबों, का शोषण करते हैं। इसी कारण इस विचारधारा का उद्देश्य एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना और सरकार की ऐसी व्यवस्था करना है जो पूर्ण रूप से मजदूरों द्वारा नियंत्रित हो। व्यवहार में इसकी प्राप्ति मजदूरों के दल द्वारा अर्थात् साम्यवादी दल द्वारा हो सकती है। साम्यवादी विचारधारा बुर्जुआ लोकतंत्र व्यवस्था के साथ पूँजीवादी विचारधारा का गहरा विरोध करती है। साम्यवादी विचारधारा स्वतंत्र व्यापार एवं खुली प्रतियोगिता का विरोध करती है। इन्हें वे असमानता के उपकरण मानती हैं। यह पूँजीवाद को सामाजिक विकास की अस्थायी अवस्था मानती है। जो वक्त आने पर साम्यवाद में परिवर्तित हो जाएगी तथा सभी वस्तुओं के सामाजिक उत्पादन एवं उपयोग का इस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारण करेगी।

उदारवादी एवं मार्क्सवादी–ये सामान्य विचारधाराएँ राष्ट्रों के वास्तविक शक्ति उद्देश्यों को आंशिक रूप से प्रयोग की जाती हैं। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि अमेरिका उदारवाद का मुख्य समर्थक रहा है। इसके बावजूद उसने अनेक सर्वसत्तावादी राज्यों तथा पाकिस्तान जैसे सैनिक तानाशाही देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे। इसके साथ ही साथ अमेरिका साम्यवादी चीन के साथ अपने संबंध स्थापित करता रहा और इसके साथ ही साथ विश्व में साम्यवादी प्रचार को रोकने का प्रयत्न करता रहा।

(ख) विशिष्ट विचारधारा की भूमिका *(Role of Particular Idelogies)*

आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक विशिष्ट विचारधाराओं की भूमिका का पता चलता है। मारगेंथो विदेश नीति की तीन विशिष्ट विचारधाराओं का वर्णन करता है–यथा पूर्व-स्थिति, साम्राज्यवादी तथा अस्पष्ट और अनेकार्थी विचारधाराएँ। इन तीनों विचारधाराओं की भूमिका का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्णन किया जाता है–

1. यथापूर्व स्थिति की विचारधारा (Ideology of Status quo) : जो देश अपनी शक्तियों का सुरक्षित रखना चाहते हैं वे यथा पूर्व-स्थिति का नीति का अनुसरण करते हैं। जो सिद्धान्त हमारे इस दृष्टिकोण का मार्ग दर्शक हैं वह एक है, जो है उसके पास अपने पक्ष में कुछ होना चाहिए, नहीं तो वह नहीं रहेगा।

स्विट्जरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों की नीतियाँ यथापूर्व स्थिति पर ही आधारित रही हैं। ये देश ऐसी नीतियों पर चलते रहे हैं, जिससे उसके पास पहले जैसी शक्ति है, वही बने रहे। यदि प्रथम विश्वयुद्ध की शान्ति, समाधान व्यवस्था को पढ़ें तो, ज्ञात होता है कि फ्रांस भी एक यथापूर्व स्थिति बना रहना चाहता था। यथापूर्व स्थिति की नीति हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यथापूर्व स्थिति की अपनी नैतिक वैधता होती है, चाहे युद्ध के समय इंग्लैण्ड, फ्रांस, युगोस्वालिया इत्यादि देशों ने यथापूर्व स्थिति की नीति का पालन किया। परन्तु फिर भी ये यथापूर्व स्थितियों को अपनी नीतियों का आधार घोषित नहीं कर सकते, क्योंक उस समय की यथापूर्व स्थिति की वैधता को चुनौती दी जा चुकी थी। इस प्रकार शांति और अन्तर्राष्ट्रीय कानून की नई विचारधारा का विकास हुआ। वास्तव में जब यथापूर्व स्थिति को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो इस नीति पर अमल करने वाले राष्ट्रों की अपनी नीति को न्यायसंगत ठहराने के लिए कुछ अन्य सिद्धान्तों का सहारा लेना पड़ता है। यथापूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा का खण्डन करती है, क्योंकि साम्राज्यवाद अपने स्वरूप के अनुसार हमेशा यथापूर्व स्थिति को भंग करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा शान्ति की नीति, शान्ति की इच्छा पर ही आधारित है, इसलिए वास्तव में यह नीति भी यथापूर्व स्थिति की विचारधारा बन जाती है।

(ii) साम्राज्यवाद की विचारधारा (Ideologies of Imperialism)–ऐसी नीति जो यथापूर्व स्थिति अथवा विद्यमान शक्ति व्यवस्था को बदलने की कोशिश करे, उसे साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। साम्राज्यवादी नीति को पहले वार्ता क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ तर्कों की नीति होती हैं। इस नीति को अपनाने वाले राज्य को यह सिद्ध करना होता है कि जिस व्यवस्था को वह बदलना चाहता है, उसमें परिवर्तन क्यों जरूरी है। साम्राज्यवादी विचारधारा अपने पेज का आधार नैतिकता तथा प्राकृतिक कानून कारण को मानती है। वर्तमान युग में डारविन तथा हरबर्ट स्पेन्सर के प्रभाव अधीन, साम्राज्यवाद की विचारधारा शास्त्रीय तर्कों को ही अधिमान देती रही है। डारविन तथा स्पेन्सर के सिद्धान्त 'योग्यतम को ही जिंदा रहने का अधिकार' का सुदृढ़ राष्ट्रों की सैनिक श्रेष्ठता के सिद्धान्त में बदल दिया गया है। साम्राज्यवादी देश अपने देशों के विस्तार को अविकसित तथा पिछड़े देशों पर बहुत सी नैतिक विचारधाराओं और प्राकृतिक सिद्धान्त के द्वारा उचित अथवा न्यायसंगत ठहराने की कोशिश करते रहे हैं।

(iii) अस्पष्ट विचारधाराएँ (Ambiguous Ideologies) : बहुत से राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सी अस्पष्ट विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अस्पष्ट विचारधाराएँ आम भाषा में साम्राज्यवाद विरोधी ही कहलाती हैं, क्योंकि ये सभी विचारधाराएँ अपने विरोधी के कार्यों को साम्राज्यवादी कह कर आलोचना करती हैं। ये विचारधाराएँ अपनी अस्पष्टता के कारण ही प्रभावशाली होती हैं। निम्नलिखित तीन विचारधाराओं को अस्पष्ट विचारधारा माना जाता है–

(1) राष्ट्रीय आत्म-निर्णय की विचारधारा (Ideology of National Determination): इस विचारधारा का वुडरो विलसन ने केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रीयताओं को विदेशी शासन से स्वतंत्र करवाने के कार्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए प्रयोग किया। इस सिद्धान्त के आधार पर चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड की अल्पसंख्यक जातियों ने चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैण्ड के राष्ट्रीय अस्तित्व को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। बाद में इसी विचारधारा का प्रयोग हिटलर ने क्षेत्रीय विस्तारवाद की नीति को उचित ठहराने के लिए किया।

(2) संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा (Ideology of United Nations) : संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के जो उद्देश्य और सिद्धान्त दिए गए हैं, उन्हें प्राय सभी राष्ट्र अपनी नीतियों और कार्यों को ठीक सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लगभग हर एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता इन कार्यों से प्रारम्भ होता है। 'संयुक्त राष्ट्र की भावना में' अथवा 'संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में' दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार सभी राष्ट्र अपने आप में संयुक्त राष्ट्र का समर्थक होने का दावा करते हैं। राष्ट्र अपनी नीतियों तथा कार्यों के औचित्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र का हवाला देते हैं।

(3) शांति का विचारधारा (The Ideology of Peace) : शान्ति की विचारधारा का प्रयोग राष्ट्र दूसरे देशों की नीतियों को शान्ति विरोधी बताकर उनकी आलोचना करने के लिए करते हैं। आज सामान्यतः सभी लोग युद्ध से घृणा करते हैं। युद्ध के भय ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्श के रूप में शान्ति के प्रति प्यार का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। इसीलिए राष्ट्र सदा शान्ति की बात करते हैं और अपनी नीतियों को शान्ति की नीति बताकर उन्हें उचित बताते हैं और अपनी विरोधियों की नीति की आलोचना भी इसी आधार पर करते हैं कि उनकी नीतियाँ विश्व शान्ति के हितों की उपेक्षा करती हैं।

ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराएँ राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्यों की दिशा-सम्बन्धी कार्य की दिशाएँ होती हैं। विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्व है। क्रिस्टरसन के शब्दों में, "विचारधारा एक ऐसा लैंस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विश्व को एकाग्रह करते हैं या एकाग्र करते हैं।"

(ग) परिवर्तन अथवा क्रांति लाने में विचारधाराओं की भूमिका (Role of Ideologies in bringing revolution or change) : विचारधाराएँ परिवर्तन अथवा कार्यों को लाने का भी एक महत्त्वपूर्ण साधन रही हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि विचारधाराओं का आधार बनाकर समाज और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उदाहरण के तौर पर रूसो के स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व संबंधी विचारों ने फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया, इसी प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी ने और जर्मनी में हिटलर ने फासीवादी और नाजीवादी विचारों का सहारा लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मार्क्स के विचारों से भी अनेक परिवर्तन हुए। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर भूतपूर्व सोवियत संघ में 1917 में क्रांति हुई। चीन में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव से क्रांति का सूत्रपात हुआ और इससे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी प्रकार से गाँधीवादी विचारधारा से भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

अपने लिए विचारधारा की बंधित व्याख्या तक सीमित करने की बजाय हमें इसके व्यापक लक्षार्थ को स्वीकार करना चाहिए। जिससे सामाजिक और राजनैतिक सिद्धान्त तथा विज्ञान के संदर्भ में इसका अर्थ कार्ल विटफोमैल के शब्दों में, "इसके अन्तर्गत व्यापक और नैतिक सूत्र आ जाते हैं, जो संगठित सामाजिक कार्यवाही, विशेषकर राजनैतिक कार्यवाही की अर्थोपायों को प्रस्तुत करने, उनकी व्याख्या करने और उनको औचित्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, चाहे ऐसी कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यवस्था का पूर्ण संशोधन, विनाश या पुनः निर्माण करना है।"

3.2 राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक तथा साम्यवादी राष्ट्रों में शिक्षा (Education in Monarchic, Democratic and Communist Countries)

6. संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत आदि लोकतन्त्रात्मक देशों की शिक्षा में वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। (Describe recent trends in education of democratic countires like U.S.A., U.K. and India)

अथवा

राजतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक देशों की शिक्षा में क्या अन्तर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(What is difference between education system of monarchic and Democratic countries? Describe the characterstics of education system in U.S.A, U.K and India).

उत्तर–विश्व में सभी देशों की शिक्षा का अपना-अपना स्वरूप होता है। किसी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की संस्कृति पर निर्भर होती है। प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली में स्थानीय आवश्यकताओं को महत्त्व दिया जाता है। शिक्षा द्वारा मानव में

Sem – I st
Paper – II nd
Unit – III

⇒ IIIrd Topic :→ Education and Democracy

⇒ Introduction :→

शिक्षा मानव के जीवन में एक उपयोगी साधन है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए, तो यह क्रान्ति ला सकती है। स्वतंत्र भारत में नेताओं के प्रजातंत्र को देश के लोगों के लिए स्वीकार किया। तब से, उसे एक सफल लोकतान्त्रिक गणतंत्र बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा वह आधार है जिस पर हम सुदृढ़ प्रजातंत्र की नींव रख सकते हैं।

⇒ Meaning of Democracy :→

लोकतंत्र शब्द को अंग्रेजी भाषा में Democracy शब्द का प्रयोग किया जाता है जो दो ग्रीक शब्दों Demos तथा Cratic का योग है। डेमोस का अर्थ है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ है जनता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता की शक्ति।

लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न रहकर जनसाधारण में निहित होती है।

⇒ Definitions of Democracy :→

(i) सीले के अनुसार :→ "लोकतंत्र शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है।"

(ii) अरस्तू के अनुसार :→ "जनतंत्र जनता की सरकार है।"

(iii) अब्राहम लिंकन के अनुसार :→ "जनतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है।"

⇒ Democracy in Education (शिक्षा में जनतंत्र)

लोकतंत्रीय शिक्षा का अर्थ है - "शिक्षा में लोकतंत्र की विचारधारा का प्रभाव। शिक्षा में लोकतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर पड़ा है।

(1) समान अवसर प्रदान करना और व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करना :→ जनतंत्र में प्रत्येक बालक समाज का एक पवित्र एवं अमूल्य निधि होता है। इसीलिए शिक्षा प्रदान करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(2) सार्वभौमिक व अनिवार्य शिक्षा :→ जनतंत्र की सफलता सर्वशिक्षा पर निर्भर करती है। जिससे सभी व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों से परिचित हो जाते हैं। इसीलिए अब बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य की गई है

(3) प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था :→ जनतंत्रीय विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अब प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है जिससे शिक्षा का प्रसार हो तथा जनतंत्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इसके लिए रात्रि-स्कूल, संडे-कॉलेज तथा प्रौढ़ साहित्यों की व्यवस्था की जा रही है।

(4) बाल-केन्द्रित शिक्षा :→ वर्तमान में शिक्षा जनतंत्रीय प्रभाव से बाल-केन्द्रित हो रही है। इसमें बालक की योग्यता तथा रुचि का ध्यान रखते हुए मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है।

(5) शिक्षण पद्धतियाँ :→ शिक्षा व्यवस्था में बालकों की रुचियों का दमन करने वाली शिक्षण विधियों के स्थान पर जनतंत्रीय शिक्षण विधियों द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे बालक की चिंतन व तर्क शक्ति का विकास हो सके।

(6) सामाजिक क्रियायें :→ अब विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान पर बल न देकर सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक तत्वों को महत्व दिया जाता है जिससे बालक सामाजिक अनुभव प्राप्त कर सके और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।

(7) स्कूल प्रशासन :→ जनतंत्रीय प्रभाव से अब विद्यालय के प्रशासन व संगठन सम्बंधी कार्यों में बालकों को भाग लेने के अवसर दिये जा रहे हैं जिससे उनमें स्वशासन की भावना विकसित होती है।

(8) शिक्षा के समस्त साधनों ~~का~~ में सहयोग :→ जनतंत्रीय समाज में शिक्षा के समस्त साधनों में परस्पर सहयोग होता है। इसीलिए अब जनतंत्र के प्रभाव से परिवार, विद्यालय, समुदाय, धर्म एवं राज्य आदि शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। सभी साधन संगठित होकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी।

(9) निःशुल्क शिक्षा :→ जनतंत्र में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार है। इसलिए अब शिक्षा सार्वभौमिक तथा अनिवार्य ही नहीं अपितु निःशुल्क भी होती जा रही है।

(10) शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान :→ जनतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षक के व्यक्तित्व को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए भी अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं।

(11) छात्र-परिषद :→ जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होते हुए अब स्कूलों में छात्र-संघ अथवा छात्र-परिषद् आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(12) व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व :→ जनतंत्रीय विचारधारा से प्रभावित होते हुए अब शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व को देखते हुए उनकी पारिवारिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा अभिवृत्तियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

⇒ Democracy and Education

जनतंत्र एवं शिक्षा सह-सम्बन्धित व परस्पर निर्भर हैं। जनतंत्र कई तरीकों से शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा जनतंत्र को। जनतान्त्रीक जीवन के लिए सर्वोत्तम गुणों का विकसित करना शिक्षा का कार्य है। अब शिक्षा एक औजार बन चुका है जिसकी सहायता से अर्थपूर्ण जनतंत्र सम्भव हुआ है। इसके सम्बन्ध में मुख्य वर्णन इस प्रकार है—

⇒ Democracy and Aims of Education :→

(1) जनतान्त्रिक नागरिकता का विकास :→ जनतान्त्रिक नागरिकता एक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित करना चाहिए। इसमें कई सामाजिक, नैतिक, व बौद्धिक गुण सम्मिलत हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है।

(2) व्यक्ति विशेष की रूचियों का विकास :→ लोकतंत्र की शिक्षा व्यक्तियों की रूचियों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। उन्हें चहुँमुखी शिक्षा देना अनिवार्य है जिससे वे हर क्षेत्र में अपना भरपूर विकास कर लें।

(3) श्रेष्ठ आदतों का निर्माण :→ लोकतांत्रिक समाज में नागरिक में श्रेष्ठ आदतों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बालक समाज में रहकर जिस प्रकार की आदतें सीखेगा बड़ा होकर वह उन्हीं का पालन करेगा। इसीलिए भावी जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रारम्भ से ही उसमें अच्छी आदतें उत्पन्न करनी होंगी।

(4) व्यक्तित्व का विकास :→ आज के संघर्षपूर्ण समाज को दे
हुए जिसमें लोकतंत्र, समाज व मानव सभी विनाश के कग
पर खड़े हैं। ऐसे समय में विद्यार्थी में रचनात्मक शक्ति
विकास व उसकी रूचियों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम
कला, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि विषयों परिपूर्ण बनाकर
व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए।

(5) नेतृत्व के गुण :→ विद्यार्थी में प्रारम्भ से नेतृत्व के
गुण विकसित करने चाहिए जिससे वह सामाजिक, राजनी
औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व क
सम्भाल सकें।

(6) सामाजिक दृष्टिकोण :→ लोकतंत्र में शिक्षा का एक औ
महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसके स
- समझने का ढंग सामाजिक हो वह अपने आपको समाज
का एक प्राणी समझकर ही प्रत्येक कार्य करे। जिससे
अपने आपको सामाजिक भावना और सामाजिक क्षमताओं
परिपूर्ण होगा।

(7) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति व समाज का निर्माण :→
लो
में शिक्षा प्रत्येक नागरिक के आदर्शों, आदतों, रूचियों
भावनाओं व शक्तियों को ध्यान में रखकर दी जानी
चाहिए। ऐसी शिक्षा से ही वह अपने व राष्ट्र के लक्ष्य
की प्राप्ति कर सकता है।

(8) योग्यता :→ लोकतंत्र में कुशलता अथवा योग्यता को
का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।

⇒ Democracy and Curriculum :→

इन उद्देश्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। इनकी पूर्ति के लिए सेकंडरी पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा जाना चाहिए।

1. केन्द्रीय पाठ्यक्रम
2. विविध पाठ्यक्रम

केन्द्रीय पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी में आवश्यक ज्ञान देने की व्यवस्था होनी चाहिए और विविध पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों, रूचियों व योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

⇒ Democracy and Child :→

हमारी जनतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का इस प्रकार विकास करना है कि वह कुशल और राज्य के उपयोगी नागरिक बन सकें। इसलिए जनतंत्रात्मक शिक्षा की व्यवस्था में बच्चे को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। बालक को उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा बालक प्रधान होनी चाहिए।

⇒ Democracy and Teacher :→

जनतंत्रात्मक भावनाओं के प्रसार के लिए शिक्षक सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है। जनतंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को जनतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास करने वाला और जनतंत्रात्मक व्यवहार करने वाला होना आवश्यक है। इसी प्रकार का शिक्षक ही छात्रों को नेतृत्व करके उन्हें सही मार्ग दर्शन प्रदान कर सकता है।

⇒ Democracy and Methods of Teaching

प्रजातंत्र की भावना का विकास शिक्षण पद्धतियों पर है। इसीलिए जनतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा जनतं भावना के विकास के लिए क्रियाशील विधियों को अ बहुत लाभकारी है। लोकतान्त्रिक शिक्षा देने के लिए अ क्रियात्मक विधियों - प्रदर्शनविधि, योजना पद्धति, खोज डाल्टन विधि, मांटेसरी प्रणाली आदि विधियों के प्र से शिक्षण को सफल बनाता है।

⇒ Democracy and Discipline :→

जनतंत्र अ की अपेक्षा स को महत्व देता है। इसमें प्रेम, सहानुभूति और सह जीवन के आधार पर विकसित की गई प्रेर अन्त होती है। जिसके कारण बालकों में सामाजिक व्यवह गुण विकसित होते हैं। जनतंत्र ऐसी व्यवस्था की रखता है जिसमें कोई भी छात्र दबाव मे आकर शिक्षा ग्रहण न करे। कठोर अनुशासन की जनत अवहेलना करता है।

⇒ Democracy and School Administration

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अध्यापकों तथा संगठनों इकट्ठे होकर स्कूल की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता अध्यापक प्रबंधक वर्ग के साथ मिलकर स्कूल की अच्छी से व्यवस्था कर सकता है। इस व्यवस्था में ~~अध्यापक~~ छात्रों का सहयोग भी अपने अध्यापकों के साथ रहत प्रबंधन और निरीक्षक ऐसी अवस्था में हस्तक्षेप नहीं

Date
Page

⇒ **Conclusion :→** इस प्रकार हम कह सकते है कि जनतंत्र और शिक्षा का पारस्परिक सम्बंध हमें जनतंत्र को व्यावहारिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा जनतंत्र का साधन है। जनतंत्र में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति में उन गुणों को विकसित करना चाहिए जिनसे उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त हो और वह स्वयं को तथा समाज को उच्चतर लक्ष्यों की ओर ले जा सके।

प्रजातंत्र के सिद्धांत :→ (1) समानता (2) स्वतंत्रता (3) न्याय (i) सामान्य न्याय (ii) आर्थिक न्याय (iii) राजनैतिक न्याय (4) भ्रातृत्व की भावना (5) परिवर्तन में विश्वास (6) व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर

⇒ IV th Topic :→ Constitutional Provisions Education.

शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

⇒ **Introduction :→** शिक्षा मानव विकास के साथ रही है। यह बात अलग है कि के मापदंड समय के साथ - साथ बदलते रहे हैं। की बात करे तो उस समय शिक्षा सब व्यक्तियों के नहीं थी। यह तो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों या ध वर्ग के लोगों के लिए थी।

आज देश को आजाद हु से ज्यादा सदी हो चुकी है। 26 जनवरी 1950 को भ संविधान के लागू होने के साथ ही शिक्षा के प्रति रूप से संवैधानिक दायित्व की चर्चा की गई। भार संविधान सर्वप्रथम हमें शिक्षा की विभिन्न समस्याओं क समझाने में सहायता प्रदान करता है। इसका अध्ययन यह समझाता है कि जिन आदर्शों का वर्णन संविधान में गया है उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है जगत से सम्बन्धित संविधान में जो व्यवस्थाएँ हमारी राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी है उनको समझना अति आवश्यक है क्योंकि अब शिक्षा वि के लिए ये सभी व्यवस्थाएँ आधार बनी है।

आजादी से अंग्रेजी सरकार एवं कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने शि क्षेत्र में बड़े व्यापक स्तर पर कार्य किए परंतु ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तविक उन्नति तथा शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद ही हुए हैं और इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि संविधान में इ लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं।

Constitutional Provisions for Education

① निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा :→ संविधान की धारा 45 के अनुसार, संविधान लागू होने से दस वर्ष के अन्दर राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

कुछ ऐसा ही मन्तव्य राजकीय विधान परिषद् के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। उन्होंने कहा कि लोक शिक्षा के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना अत्याधिक आवश्यक है और इस बात का सारा उत्तर-दायित्व भारत सरकार है। सरकार का प्रथम प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों को जुटाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा-1937 का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था और शिक्षा का ध्येय गरीब बालकों को आत्मनिर्भर बनाना था। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देश को आजाद हुए लगभग 64 साल हो चुके हैं परंतु शिक्षा का यह निर्धारित तथ्य आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसकी असफलता के पीछे एक नहीं अनेक कारणों का होना था। जिनमें से कुछ निम्न हैं:—

① वित्तीय साधनों की कमी
② छोटे-छोटे गाँव
③ माँ-बाप की निर्धनता
④ बिखरे तथा बिखरे गाँव
⑤ लड़कियों की शिक्षा-संबंधी अवरोध आदि।

② अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार :→ अनुच्छेद 29 के अनुसार "भारत के किसी भी क्षेत्र में अथवा उसके किसी भी छोटे-बड़े भाग में

रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशे भाषा है, लिपि या संस्कृति है उनको उचित संरक्षण दिया जाए उसके साथ-साथ किसी भी देश के नागरिक को केवल ध जाति एवं भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर किस सरकारी या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्था में प्रवेश पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।"

अनुच्छेद 30 के अनुसार "सभी अल्पसंख्यक वर्ग को चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका यथा आवश्यकतानुकू प्रबंध करने का भी अधिकार है।"

अनुच्छेद 29 और 30 को जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया तो इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकृति दे दी। इसके साथ-साथ इसने राज्य को सभी विद्यालयों के लिए आवश्यक नियम तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार भी दिया।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार "अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में से कुछ एक विद्यालय तो सभी आदर्शों को तिरोहित करके धार्मिक पक्षपात, जातिवाद व पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़िया बनाने के लिए इन सरकार का अपना नियंत्रण होना चाहिए।

(3) समानता का आधिकार :→ संविधान की धारा 14, 15 व 16 का सम्बंध इसी समानता के आधिकार के साथ है।

अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं—

(i) कानून के समक्ष समानता

(ii) कानून द्वारा समान संरक्षण

इसका अभिप्राय है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। समान परिस्थितियाँ होने पर सब पर एक समान ~~लाग~~ कानून लागू होगा। समानता के इस नियम के कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। धारा 14 तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देती है। लेकिन वर्ग - विधान का निषेध करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि समानता एक गतिशील प्रत्यय है। इसे परम्परागत अथवा सिद्धांतगत सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।

धारा 14 के आधार पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह कहा गया है कि प्रवेश सम्बंधी कि किसी भी योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए सर्वोत्तम व उच्चतम योग्यता वाले नागरिकों का चयन करना होता है। यह बात व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में कही गई है।

(4) कुछ विशेष शैक्षणिक संस्थाएँ जिनमें धर्म शिक्षा और धार्मिक पूजा के अवसरों पर उपस्थिति सम्बन्धी स्वतन्त्रता :→

अनुच्छेद 25 धारा 1 के अनुसार "भारत सरकार संवैधानिक दायित्व को समझते हुए इस बात का आश्वासन देती है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्मानुचरण, धर्मपालन और धर्म का प्रचार करने का का पूरा- पूरा अधिकार है।

जबकि अनुच्छेद 28 धारा 1 में कहा गया है कि जो संस्थाएँ पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अनुदान के सहारे चलती हैं उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्णरूप से पाबन्दी है। इसके साथ-साथ अनुच्छेद 28 की धारा 2 में कुछ ऐसी संस्थाएँ, जिनका प्रबन्ध तो राज्य सरकार करती है परंतु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक ~~ट्रस्ट~~ ट्रस्ट ने की हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई है।

अनुच्छेद 28 की धारा 3 में यह भी कहा गया है कि चाहे जो भी व्यक्ति राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली

संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उसमें दी जाने वा
किसी धार्मिक शिक्षा में भाग नहीं लेगा या ~~सरकार~~ से
उस संस्था में धार्मिक स्थान, धार्मिक पूजा - स्थल
भाग नहीं लेगा।

③ ⑥ समानता का अधिकार (15 व 16) →

अनुच्छेद 15

1. राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा देने में समानता का अ
दूसरे शब्दों में सभी नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का
अधिकार रखते हैं।
2. राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन
शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान
उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है। ऐसा करना स
के नियम का उल्लंघन नहीं है।

अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार रोजगार के अवसर या रा
अधीन किसी ऑफिस में नियुक्ति की गारण्टी देती है।
16(2) के अनुसार यह घोषणा करती है कि किसी
नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग वंश
परम्परा, जन्म स्थान या निवास ~~स्थ~~ स्थान आदि
भी आधार पर किसी रोजगार या राज्य के अधीन
में नियुक्ति के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

⑤ शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों
स्त्रियों की शिक्षा :→

अनुच्छेद 15 के एक संशोधन
अनुसार राज्य को यह शक्ति और अधिकार दिया गया
पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था और प्रबंध
ताकि उनके सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहें।

अनुच्छेद
अन्तर्गत राज्यों को नारी शिक्षा के सन्दर्भ में यह आधि

दिए गए हैं कि राज्य बिना किसी हस्तक्षेप के नारी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। नारी शिक्षा के क्षेत्र में वेद समाज से लेकर आजादी के बाद वर्तमान समय तक बहुत सार्थक बदलाव व प्रगति हुई है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े वर्गों खासतौर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा पक्षों तथा धार्मिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनके हितों को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए और उनको हर प्रकार का सामाजिक न्याय दिलवाया जाए।

हिन्दी भाषा का अधिकार :→ धारा 351 हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने व इसके विकास के साथ सम्बन्ध रखती है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हिन्दी अन्य भाषाओं विशेष रूप से संस्कृत की शब्दावली को आत्मसात कर सकती है। यह धारा केंद्र पर यह दायित्व डालती है कि वह हिन्दी भाषा के विकास व इसे बढ़ावा देने का प्रयास करे जिससे इसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। लेकिन यह किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं देती कि वह उस संस्था को हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए बाध्य करे जहाँ उसने प्रवेश लिया है।

विकलांगों के लिए शिक्षा का अधिकार :→ शैक्षिक प्रावधानों में विकलांगों के लिए शिक्षा का अधिकार भी है। विकलांगों को शिक्षा देकर उनमें आत्मविश्वास व आत्मसम्मान को विकसित करना चाहिए ताकि वे राष्ट्र के भावी नागरिक बन सकें।

कृषि शिक्षा :→ अनुच्छेद 48 के अनुसार "यदि राज्य चाहे तथा यदि उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठा सकता है।

⇒ V^th Topic :→ Nationalism, (राष्ट्रीयता) and Education

⇒ Introduction :→

जब किसी समाज के सारे व्यक्ति नि
निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अन्दर अप
पारस्परिक भेद-भावों को भुलाकर सामूहीकरण की भावना
से प्रेरित होते हुये एकता के सूत्र में बँध जाते हैं तो उसे
राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रवादियों का मत है
" व्यक्ति राष्ट्र के लिए है राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। इस
दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता

⇒ Meaning of Nationalism :→

राष्ट्रीयता का अर्थ
राष्ट्र के नागरिकों की एक
की भावना से होता है। यह भावना किसी भी राष्ट्र के विका
के लिए अति आवश्यक है। सभी देश अपने नागरिकों में
राष्ट्रीयता का विकास करने में लगे हुए हैं। राष्ट्र के प्रति
प्रेम-भावना ही राष्ट्रीयता है। किसी भी व्यक्ति का राष्ट्र
अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं होता।

राष्ट्रीयता की भाव
जन्म अट्ठारवीं शताब्दी में फ्रांस की महान क्रांति के पश्च
ही हुआ है। देश-प्रेम का अर्थ उस स्थान से प्रेम रख
है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है। देश-प्रेम की भावना
प्राचीन काल से ही पाई जाती है।

⇒ Definitions of Nationalism :→

(1) डॉ० हुमायूं कबीर के अनुसार :→ " राष्ट्रीयता वह है जो राष्
के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है।"

(2) कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार :→ "राष्ट्रीयता एक उग्र रूप का सामाजिक संगठन है जो एकता के सूत्र में बँधकर सरकार की नीति को प्रसारित करता है।"

(3) ब्रूवेकर के अनुसार :→ "राष्ट्रीयता साधारण रूप में देश-प्रेम की अपेक्षा देश भक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है।"

Nationalism and Education

प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक विकसित हुई है। यदि नागरिक राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैं तो राष्ट्र उन्नति के ~~शिक्ष~~ शिखर पर चढ़ता रहेगा। इस राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में शिक्षा अहम् भूमिका निभाती है। शिक्षा की अहम् भूमिका इस प्रकार है।

(1) राजनीतिक एकता :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। राजनीतिक एकता का अर्थ है कि राष्ट्र में जातीयता, प्रान्तीयता तथा समाज के वर्ग भेदों से ऊपर उठाकर राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों, सामाजिक इकाइयों तथा जातियों में एकता का होना।

(2) सामाजिक उन्नति :→ राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर भी बहुत कुछ आधारित होती है। सामाजिक कुरीतियाँ, अंध-विश्वास तथा दोषपूर्ण रीति-रिवाज राष्ट्र की प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं तथा उसे पतन की ओर ढकेल देते हैं। राष्ट्रीयता की शिक्षा इन सभी दोषों को दूर

करके नागरिकों में समानता का ऐसा स्वस्थ वातावरण
करती है जो राष्ट्र को निर्मल स्वच्छता की ओर ले

③ आर्थिक उन्नति :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा से राष्ट्र की
कारीगर तथा उद्योग-धंधे पनपते हैं। ऐसी शिक्षा को
करके राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक 'किसी-न-किसी धंधे में
करते हुए परिश्रम करता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की
के द्वारा राष्ट्र की दिन-प्रतिदिन उन्नति होती है।

④ संस्कृति का विकास :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा राष्ट्र की
का संरक्षण, विकास, हस्तान्तरण करती है। यदि राष्ट्री
की शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से नहीं की गई
राष्ट्र की संस्कृति विकसित नहीं होगी। परिणामस्वरूप
उन्नति की दौड़ में पिछड़ जायेगा।

⑤ भ्रष्टाचार का अंत :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा के द्वारा राष्ट्र
भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है। ऐसी शिक्षा प्राप्त करके
नागरिक राष्ट्रीयता भावना से ओत-प्रोत हो जाते हैं
राष्ट्रीयता की शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र का कोई व्यक्ति
ऐसा निन्दनीय कार्य नहीं करता जिससे राष्ट्र की
में बाधा आये।

⑥ स्वार्थ त्याग की भावना का विकास :→ राष्ट्रीयता की
के द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों में आत्म-त्याग की भ
विकसित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी सभी
स्वार्थपूर्ण भावनायें समाप्त हो जाती हैं। इससे राष्ट्र सु
उन्नतिशील तथा शक्तिशाली बन जाता है।

राष्ट्रीय भाषा का विकास :→ प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को किसी अमुख भाषा के द्वारा राष्ट्र की सम्पूर्ण विचारधारा तथा साहित्य की शिक्षा प्रदान करके समाज की विभिन्न इकाइयों, राज्यों तथा जातियों एवं प्रजातियों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास करता है। इससे राष्ट्रीय भाषा का विकास हो जाता है।

राष्ट्रीयता की शिक्षा के दोष :→

संकुचित राष्ट्रीयता का विकास :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा बालकों में संकुचित राष्ट्रीयता का विकास करती है। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो आँख मूँदकर राष्ट्र के उद्देश्यों का पालन करते रहें तथा उसकी सेवा करते हुए अपने जीवन को अर्पण कर दें।

व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा व्यक्ति के विकास को लक्ष्य न मानकर उसे राष्ट्र की उन्नति का साधन बना देती है। ऐसी शिक्षा से व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतया दब जाता है जिससे उसका समुचित विकास नहीं हो पाता।

कट्टरता का विकास :→ राष्ट्रीय शिक्षा नागरिकों में कट्टरता की भावना का विकास करके उन्हें अपने देश के लिए बलिदान देना सिखाती है। इसका परिणाम यही होगा कि यदि देश में कुछ बुराइयाँ भी होंगी तो भी उनको प्रोत्साहन ही मिलता रहेगा।

4. युद्ध :→ कभी-कभी कट्टर राष्ट्रीयता के कारण युद्ध छिड़ जाता है। जब राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा नागरिकों में कट्टर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो जाती है तो वे अपनी के गर्व में आकर दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण भी कर

5. पृथकत्व की भावना का विकास :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा कारण राजनीतिक पृथकत्व की भावना बड़े वेग के सा विकसित हो जाती है। यही कारण है कि संसार का भी राष्ट्र विश्व सरकार में विश्वास नहीं करता।

6. स्वार्थपरता तथा अनैतिकता को प्रोत्साहन :→ राष्ट्री शिक्षा केवल अपने ही देश की उन्नति पर बल देती इससे एक देश के नागरिकों को दूसरे देशों की उन्न देखकर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। राष्ट्रीयता की भा से प्रेरित होकर एक राष्ट्र अपने स्वार्थ को पूरा के लिए दूसरे राष्ट्रों का विध्वंस करने तथा उन्हें हा के लिए भी सदैव तैयार रहता है।

7. घृणा तथा भय का विकास :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा राष्ट्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। इससे एक राष्ट्र के नागरिकों के मन में अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा उ हो जाती है। घृणा के भाव भय के संवेग को भी जन्म देते हैं।

8. सभ्य जीवन में बाधक :→ राष्ट्रीयता की शिक्षा मान सभ्य जीवन की निरन्तर कभी-कभी बाधक भी सिद्ध हो जाती है। इसका कारण है कि सभ्य जीवन के लिए मानवीय गुणों का होना आवश्यक है।

Topic

⇒ National Integration :→ राष्ट्रीय एकता

⇒ Introduction :→

भारत एक विशाल देश है। इस विशालता के कारण इस देश में हिन्दू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी तथा सिक्ख आदि विभिन्न धर्मों तथा जातियों एवं सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। और इन सब के धर्मों व जातियों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नता होते हुए भी रहन-सहन ढंगों, ~~आज~~ आचार-विचार तथा ~~रस्ते~~ आदि में एकता भी पाई जाती है। इस एकता का आधार भारतीय संस्कृति की एकता है जिसे अलग-अलग तत्वों में विघटित करना असम्भव है।

Meaning of National Integration :→

राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि हम जाति, प्रांत धर्म या वर्ग विशेष से सम्बन्धित होते हुए भी स्वयं को एक राष्ट्र का नागरिक समझें तथा राष्ट्रीय हितों के लिए अपने जातीय प्रांतीय या धार्मिक हितों को त्यागने के लिए तैयार रहें। भारत विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अलग-2 धर्मों को मानने वाले, भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बंध रखने वाले तथा अलग-अलग ~~स~~ राज्यों की संस्कृति तथा विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, परंतु जब वे इन सबको भूलाकर परस्पर एकता के सूत्र में बँध जाते हैं, एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं तो यही राष्ट्रीय एकता है।

Definitions of National Integration :→

(1) हरबर्ट रिजले के अनुसार :→ "राष्ट्रीय एकता अपने में

की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए हैं।"

(ii) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (1961) के अनुसार :→ "राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के हृदय में एकता, घनिष्ठता, लगाव, सम्मान, समान नागरिकता और राष्ट्र भक्ति की भावना का विकास किया जाता है।"

Need of National Integration :→

डॉ कानूनगो के अनुसार :→ "राष्ट्रीय एकता की हर देश को आवश्यकता है किन्तु भारत के लिए इसकी कही अधिक आवश्यकता है।

1 विविधता में एकता बनाये रखने के लिए :→ विविधता में एकता हमारी संस्कृति की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति विख्यात रही है। इसकी इस विशेषता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना बहुत आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए :→ आज हमारे सामने सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्र के सभी नागरिकों में आपसी प्रेम व विश्वास का होना आवश्यक है। हमारे देश में अलगाववादी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं इन बुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

3. प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए :→ प्रजातंत्र की सफलता ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो भ्रातृत्व, समानता और न्याय जैसे मूल्यों में विश्वास रखते हैं तथा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं तथा प्रेम, सहिष्णुता सहयोग तथा सहानुभूति जैसी भावनाओं से युक्त है। ये सब राष्ट्रीय एकता द्वारा ही सम्भव है।

4. राष्ट्रीय विकास के लिए :→ आज हम तेज गति से राष्ट्रीय विकास करना चाहते हैं। यदि हम जाति, धर्म या भाषा के आधार पर आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे तो राष्ट्रीय विकास की बात भी नहीं सोची जा सकती। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लिए हम सबका एक होना बहुत आवश्यक है।

5. मानवीय मूल्यों के विकास के लिए :→ आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में मानवीय मूल्यों के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि मानवीय मूल्यों का निरन्तर पतन हो रहा है। अतः इन मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए राष्ट्रीय एकता का विकास करना आवश्यक है।

6. शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए :→ आज का व्यक्ति बहुत अशांत, अधिक स्वार्थी हो गया है। परिणामस्वरूप देश में भी अशान्ति का वातावरण है। यदि हम देश में शान्ति का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

⇒ राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएँ :→

① **प्रान्तीयवाद :→** प्रत्येक देश प्रशासन का कार्यक्रम कुशलता से चलाने के लिए अपने आपको प्रान्तों में बाँट देता है। वास्तविकता तो यह है कि समस्त प्रान्त एक ही देश के भाग हैं, परन्तु बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि बहुत से प्रान्तों के आपसी सम्बन्ध मधुर नहीं हैं।

② **जातिवाद :→** भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण आदि। इन जातियों में भी अनेक उपजातियाँ हैं। उस समय जाति विभाजन कर्म के आधार पर होता था न कि जन्म के आधार पर और एक व्यक्ति के एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता था परन्तु समय के साथ-साथ जातीयता के बन्धन और भी कठोर होते गए। जातिवाद का सबसे बड़ा कुप्रभाव चुनावों के समय देखने को मिलता है। जब तक लोगों में जातीयता की भावना रहेगी तब तक राष्ट्रीय एकता की बात सोची भी नहीं जा सकती।

③ **भाषावाद :→** जब हमारा देश इतना विशाल है तो यह बात स्वाभाविक है कि इसमें बहुत सी भाषाएँ बोली जाती होंगी। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। तथा 22 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। परन्तु देश में भाषावाद अपना ~~भद्दा~~ भद्दा सिर ऊपर उठा रहा है। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हिन्दी विरोधी आंदोलन चलता रहता है। पंजाब में भी बहुत बार हिन्दी विरोधी आंदोलन चलाया गया है।

classmate
Date
Page

(4) क्षेत्रीयवाद :→ क्षेत्रीयवाद भी एक प्रकार से प्रान्तीयता का एक रूप है। क्षेत्र के नाम से देश के विभिन्न भागों मे प्राय: हिंसक तनाव भड़कता ही रहता है। शैक्षिक संस्थाओं में क्षेत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। क्षेत्रों के आधार पर बहुत से राज्यों में सेनाएँ बन गई हैं।

(5) साम्प्रदायिकता :→ भारत एक विशाल देश है। इस देश में भिन्न - भिन्न धर्मों के लोग जैसे - हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि निवास करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न धर्मों में भी अलग - अलग विश्वास के लोग है जैसे — हिन्दुओं में सनातनी तथा आर्यसमाजी आदि, मुसलमानों में सिया और सुन्नी, सिक्खों में निरंकारी, नामधारी, ईसाइयों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट आदि इनके उदाहरण है। परन्तु दुख की बात यह है कि विभिन्न धर्मों तथा उनके सम्प्रदायों में आपसी सद्भावना का होना तो एक तरफ बल्कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। इन झगड़ो के कारण राष्ट्रीय एकता नष्ट हो रही है।

(6) राष्ट्रीय चरित्र का अभाव :→ भारत में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण करने में एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि भारत में इस समय उपलब्ध नहीं है। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और अराजकता तथा अशान्ति का युग चल रहा है। इनके कारण नागरिक स्वार्थ की भावना के लिए राष्ट्रीयता की भावना भूल रहे हैं।

(7) राजनीतिक दल :→ लोकतंत्र में राजनैतिक दलों का अपना महत्व है क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों में राष्ट्रीय जागरूकता

का निर्माण होता है। हमारे देश में राजनैतिक दलों का संगठन राजनैतिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है न कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर। भारत में राजनैतिक दलों का संगठन जाति, धर्म, सम्प्रदाय और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। और इन्हीं का सहारा लेकर वोट माँगे जाते हैं।

(8) असमानता :→ देश भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक असमानता व्याप्त है। धनी व निर्धन में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस असमानता के युग में राष्ट्र की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। सभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं।

(9) आर्थिक विषमताएँ :→ राष्ट्रीयता के मार्ग में आर्थिक कारण भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। हमारा देश निर्धन देशों की गिनती में आता है। यहाँ की 50% से भी अधिक जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रही है तो दूसरी ओर देश की चार या पाँच प्रतिशत जनसंख्या के पास देश का 30% से भी अधिक धन है। जब तक ये विषमताएँ है तब तक भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास असम्भव है।

(10) अनुचित शिक्षा :→ भारत में शिक्षा को राज्यों का विषय माना जाता है। इस नियम के अनुसार भारत का प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी आवश्यकताओं तथा शक्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के शिक्षकों के वेतनों में भारी विषमता है। इससे शिक्षकों में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना विकसित हो गई है। जब राष्ट्र के निर्माताओं में ही ईर्ष्या की भावना विकसित हो गई हो तो फिर राष्ट्रीय एकता असम्भव है।

⇒ शिक्षा की राष्ट्रीय एकता में भूमिका :→

1. शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन :→ आज हमारे देश में सैद्धान्तिक रूप में शिक्षा के अनेक उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है, परन्तु हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा परीक्षा प्रधान है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, आचरण और भावनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हो और उसके उद्देश्यों में एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास भी हो।

2. शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन :→ विद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए और उसमें समाज सेवा तथा राष्ट्रीय सेवा के कार्यों को अनिवार्य किया जाए। राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाना भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित विषयों को भी रखा जाना चाहिए।

3. शिक्षण - विधियों में सुधार :→ शिक्षण की उन विधियों का चुनाव करना चाहिए जिनमें अध्यापक सभी बच्चों की समान रूप से सहायता कर सकें और सभी बच्चों को अपनी-२ योग्यताओं के अनुसार विकसित करने के समान अवसर मिल सके।

4. पाठ्य-पुस्तकों में सुधार :→ पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किया जाए और उनमें राष्ट्रीय एकता में सहायक होने वाली सामग्री का समावेश होना चाहिए। इसके लिए देश की विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों से सम्बन्धित विषय सामग्री

का चुनाव किया जाए। राष्ट्र के व्यापक हितों की दृष्टि से विभिन्न विषयों की विषय-वस्तु की पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता।

5. पाठ्य-सहायक क्रियाओं की भूमिका :→ राष्ट्रीय और भावात्मक विकास के लिए स्कूल में कई पाठ्य सहायक क्रियाओं को आयोजित किया जा सकता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित क्रियाएँ हैं —

(i) राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दिवस मनाना
(ii) देश के महापुरुषों के जन्म दिन मनाना
(iii) विभिन्न धार्मिक उत्सव मनाना
(iv) सांस्कृतिक उत्सव करना चाहिए
(v) शैक्षिक यात्राएँ होनी चाहिए

6. सामान्य समान व्यवहार :→ शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म, सम्प्रदाय और अन्य किसी प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त किया जाए। विद्यालय में अध्यापक आदि का चुनाव या बच्चों का प्रवेश योग्यता के आधार पर हो। छात्र-वृत्तियाँ भी योग्यता के आधार पर दी जाएँ।

7. धार्मिक और नैतिक शिक्षा :→ राष्ट्रीय शिक्षा के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा का होना बड़ा जरूरी है। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है। व्यक्ति एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग संकीर्ण भावनाओं के नहीं होते इनमें भावात्मक एकता आ जाती है

8. पुस्तकालय :→ पाठशालाओं के पुस्तकालयों में अधिक और ठीक प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकालयों में

ऐसी पुस्तकें अधिक होनी चाहिए जिनको पढ़ने से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिले न कि दूसरे धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों के प्रति घृणा के भाव आए।

9. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली :→ यदि शिक्षा ने राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की भूमिका अच्छी तरह से निभानी है तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रांत की शिक्षा दूसरे प्रांत से अलग है। कोठारी आयोग ने भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने के प्रति बल दिया था।

10. विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना :→ यदि स्कूलों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है तो विद्यार्थियों के अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना होगा। जैसे →
(i) समानता (ii) बन्धुता (iii) सहानुभूति (iv) सहनशीलता
(v) स्वतंत्रता (vi) अच्छी नागरिकता

11. राष्ट्र की विभिन्नताओं का आदर :→ हमें बच्चों में देश के विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और उनमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उदारता का विकास करना चाहिए

12. अन्तर्प्रान्तीय प्रदर्शनियाँ :→ विद्यालयों में अन्तर्प्रान्तीय स्तर की प्रदर्शनियों के लगाने का भी आयोजन करना चाहिए। इन प्रदर्शनियों में देश की सभ्यता एवं संस्कृति की झाँकी प्रस्तुत करनी चाहिए।

VIIth Topic :→ Education for International Understanding

अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा

Introduction :→

आज समस्त विश्व के देश इस प्रकार अन्तर्सम्बन्धित हैं कि कोई भी राष्ट्र अलग रह कर प्रगति करने का साहस नहीं कर सकता। आज विश्व-नागरिकता का भी उतनी ही महत्व है जितना राष्ट्रीय नागरिकता का। इसलिए लोगों में यह भावना भी होनी चाहिए कि हम सब एक ही विश्व के सदस्य हैं।

Meaning of International Understanding :→

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है- विश्व-नागरिकता। यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव में भाई-चारे के सम्बन्ध हों तथा वसुधा एक कुटुम्ब के समान प्रतीत हो। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व मैत्री तथा विश्व-बन्धुत्व की भावना पर आधारित होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की ओर संकेत करती है।

Definition of International Understanding :→

(i) ओलिवर गोल्डस्मिथ :→ "अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही

सदस्य नहीं है बल्कि विश्व का नागरिक भी है।"

(ii) के० जी० सैमदेन के अनुसार :→ "अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसा मंत्र है जिससे मानवता का कल्याण हो सकता है।"

⇒ Need for International Understanding :→

① संसार में समस्त राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न रंग-रूप तथा जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं, परंतु उन सबकी मानवीय आत्मा एक है। इस एकता का आभास कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास परम आवश्यक है।

② आधुनिक युग में विश्व के सभी राष्ट्र एक-दूसरे के इतने निकट आ गये हैं कि एक राष्ट्र में होने वाली घटना अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित करती है। उनमें आपस में भय बना रहता है तथा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अथवा युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना होने से वे अपनी शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के लिए कर सकते हैं

③ प्रत्येक मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति तथा मित्रता आदि मानवीय गुण पाये जाते हैं। और इन गुणों को बनाये रखने में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना आवश्यक है।

④ भारत में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकसित होना और भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात हम हाल ही में दासता की बेड़ियों से मुक्त हुए और हमारा अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना ज्यादा आवश्यक है।

(5) शिक्षा के द्वारा प्रत्येक नागरिक अपना स्वतंत्र मत प्रकट करने से पूर्व प्रत्येक समस्या पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कर सके। इस दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होना परम आवश्यक है।

(6) आधुनिक युग निर्भरता का युग है, इसलिए मिलजुल कर रहने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने तथा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सहायता एवं सहयोग देने से ही सबका कल्याण है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना केवल आवश्यक ही नहीं है अपितु अनिवार्य भी है।

अन्तर्राष्ट्रीय समझ की शिक्षा के सिद्धान्त :→
Principles of Education for International Understanding :→

(1) **उदारता एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास :→** अन्तर्राष्ट्रीय विवेक की शिक्षा को प्रमुख रूप से वैज्ञानिक चिंतन की आदत का निर्माण करना चाहिए जिसमे उदारता, स्वतंत्र चिंतन तथा शुद्ध निर्णय शक्ति का विकास होता है। इसी आदत से लोगों को अच्छे-बुरे तथा सत्य और झूठ में भेद करने की योग्यता प्राप्त होती है।

(2) **सहिष्णुता का सिद्धान्त :→** संसार के सभी देशों को अपने पारस्परिक सम्बन्धों में 'जिओ और जीने दो' के आदर्श को अपनाना चाहिए। सहानुभूति विवेक का अभाव संसार में शत्रुता को पैदा करता है। इसलिए सहयोग तथा सह-अस्तित्व की भावना पर बल देना चाहिए। शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीयवाद के बीज बोने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करेगी।

classmate
Date
Page

③ अन्तर्सम्बन्ध का सिद्धान्त :→ अन्तर्राष्ट्रीय विवेक की शिक्षा अन्तर्सम्बन्ध के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए। आधुनिक विश्व का कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। प्रत्येक देश को अपनी भौतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री तथा विवेक से ही सभी देशों की आवश्यकता पूरी हो सकती है।

④ सच्ची देश भक्ति का सिद्धान्त :→ अपने देश से प्यार व्यापक मानवता के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। जब तक देश भक्ति को अन्तर्राष्ट्रीयवाद से सम्बन्धित न किया जाए तब तक विश्व शान्ति की नींव दृढ़ नहीं हो सकती।

⑤ भय को दूर करने का सिद्धान्त :→ विश्व के राष्ट्रों में परस्पर संदेह तथा ईर्ष्याएँ विद्यमान हैं, इसी भय के कारण ही सभी देश विनाशकारी शस्त्रों से युक्त बड़ी-बड़ी सेनाएँ रखने पर विवश हो रहे हैं। व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में भय को समाप्त करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मानव में विश्वास तथा अपने में साहस रखकर आगे बढ़ना चाहिए

⑥ ठीक आदर्शों पर बल :→ अन्तर्राष्ट्रीय विवेक की शिक्षा में ठीक आदर्तों पर बल दिया जाना चाहिए। प्रजातान्त्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ तथा दूसरों को हीन नहीं समझना चाहिए। इससे भेद-भाव उत्पन्न होता है जो राष्ट्रों के परस्पर संघर्ष का बुनियादी कारण है। धैर्य और आत्म-विश्वास का विकास होना चाहिए।

classmate
Date
Page

(7) कर्म का सिद्धान्त :→ केवल सैद्धान्तिक ज्ञान पर्याप्त नहीं। कर्म और ज्ञान मानव प्रगति के रथ के दो पहिये हैं। एक-दूसरे के बिना लंगड़ा है। इसलिए हमें नवयुवकों को ऐसा शिक्षण प्रदान करना चाहिए कि वे अन्तर्राष्ट्रीय एकता एवं मैत्री की सेवा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विवेक के सैद्धान्तिक ज्ञान को कार्यान्वित कर सकें।

(8) निर्भरता का सिद्धान्त :→ मानव जाति एक संगठित वर्ग है। इस वर्ग का सदस्य एक-दूसरे पर किसी न किसी वस्तु के लिए निर्भर रहता है। किसी भी राष्ट्र को स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि बालकों की समझ में यह बात आ सके कि हम सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

(9) सामाजिक चेतना का सिद्धांत :→ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए सामाजिक चेतना को विकसित करना परम आवश्यक है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि बालकों के दिल में सामाजिक कल्याण, सामाजिक आभार एवं उत्तरदायित्व की भावनायें उत्पन्न हो सके।

(10) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत :→ के० जी० सैयदेन का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर अवलम्बित होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालक को आरम्भ से ही इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि समस्त संसार एक है यह बँट नहीं सकता।

⇒ **Curriculum :→** अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एक सशक्त साधन है। हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालय में प्रचलित परम्परागत पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीयवाद की सम्भावनाओं को पूरा नहीं करता। अतः अन्तर्राष्ट्रीयवाद में निर्देशक सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनः निर्माण तथा पुनर्गठन होना चाहिए। पुनः निर्माण का अर्थ है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी विषयों और क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों को उस संसार में ले जाना चाहिए जिसके वे सदस्य हैं। राष्ट्रीय भावना के विकास की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों को फिर से लिखा जाना चाहिए और दूसरा विभिन्न विषयों की शिक्षण-विधियों और शैलियों का पुनः निर्माण करना चाहिए।

⇒ **Libraries :→** पाठशालाओं के पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें रखी जानी चाहिए जिनको पढ़ने से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिले। परंतु कितने अफसोस की बात है कि हमारे स्कूलों में प्रायः पुस्तकालय के महत्त्व को नहीं समझा जाता। इसलिए बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जिनके में कोई पुस्कालय है ही नहीं और जिन स्कूलों में छोटा-मोटा पुस्तकालय है भी वहाँ पुस्तकों का चयन करते समय अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में ध्यान ही नहीं रखा जाता है। ऐसा भी देखने में आया है कि प्रायः पुस्तकालय के अधिकारी विद्यार्थियों में पुस्तकें वितरण करने में संकोच करते हैं।

⇒ **Exhibitions (प्रदर्शनियाँ) :→** दूसरे देशों की कला, संस्कृति तथा उनके जीवन की विशेषताओं को प्रकट करने वाली प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार की प्रदर्शनियों में विभिन्न देशों के उद्योगों, सिक्कों तथा अन्य

वस्तुओं को चित्रित किया जाता है। इन प्रदर्शनियों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिलता है।

⇒ **Role of the Teacher :→** अध्यापक का विश्व समाज और अन्तर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास होना चाहिए। केवल तभी वह विद्यार्थियों में अन्तर्राष्ट्रीय भावना का निर्माण कर सकेगा। अध्यापक को इस बात का निश्चय होना चाहिए कि उसके विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रीयवाद को क्रियात्मक विश्वास के रूप में बदल रहे हैं। उसे विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

⇒ **School Management :→** बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस आदि भी महत्वपूर्ण साधन हैं परंतु इस भावना को विकसित करने के लिए स्कूल का विशेष महत्व है। इसलिए स्कूल की व्यवस्था सहयोग के आधार पर होनी चाहिए तथा बालकों को व्यक्तिगत कार्य के स्थान पर सामूहिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनमें समूह के प्रति सद्भावना, अनुशासन, सहयोग, दया तथा सहनशीलता आदि गुणों का विकास होगा। स्कूल का समस्त वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बालकों के अन्दर परिवर्तन में विश्वास, आग्रह तथा अनुरोध एवं बन्धुत्व की भावनायें विकसित हो जायें।